

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 450]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2015—कार्तिक 22, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्र.-ए-3-60-2015-1-पांच-(35).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9-क क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग के संबंध में, सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट माल के वर्ग के संबंध में, कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट वजन, मात्रा, माप या ईकाई के आधार पर देय अतिरिक्त कर की राशि, उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, नियत करती है, अर्थात् :-

सारणी\*

माल का वर्ग (1)	कर की राशि (2)	निबंधन तथा शर्तें (3)
पेट्रोल	रुपए 1/- प्रति लीटर	1. कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर माल के मध्यप्रदेश राज्य के भीतर विक्रय पर देय होगा. 2. मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 के अधीन यथाविहित प्ररूप 10 में विवरणी, यथावश्यक परिवर्तन सहित कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट माल का विक्रय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को लागू होगी.

2. यह अधिसूचना दिनांक 25 नवम्बर, 2015 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्र.-एफ-ए-3-60-2015-1-पांच-(35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-ए-3-60-2015-1-पांच-(35), दिनांक 13 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th November 2015

No.-A-3-60-2015-1-V-(35).—In exercise of the powers conferred by Section 9-AA of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, fixes in respect of the class of goods specified in column (1) of the table below, the amount of additional tax payable on the basis of weight, volume, measurement or unit as specified in column (2), subject to the terms and conditions specified in column (3) of the said table, namely :—

TABLE

Class of goods (1)	Amount of tax (2)	Terms and conditions (3)
Petrol	Rupee 1/- per liter	<ol style="list-style-type: none"> <li>The additional tax as specified in column (2) shall be payable on the sale of the goods inside the State of Madhya Pradesh.</li> <li>The return in Form 10 as prescribed under the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006 shall mutatis mutandis apply to the registered dealer selling the goods specified in column (1).</li> </ol>

2. This notification shall come into force from 25th November, 2015.;

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

सूचना

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्र.-ए-3-58-2015-1-पांच-(36).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की अनुसूची-दो में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 70-क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के संबंध में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से पन्द्रह दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा.

उक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से उपरोक्त विनिर्दिष्ट कालावधि तक या पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

### संशोधन का प्रारूप

उक्त अधिनियम में, अनुसूची-दो में,—

- (एक) भाग-दो में, अनुक्रमांक 22-ख तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए;
- (दो) भाग-3 क में, अनुक्रमांक 8 के सामने, कॉलम (3) में अंक "14" के स्थान पर, अंक "20" स्थापित किया जाए;
- (तीन) भाग-4 में, अनुक्रमांक (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए; अर्थात्:—
- "2. सभी प्रकार के अमद्यसोरिक (नॉन-अल्कोहलिक) पेय तथा पानीय जिनमें शरबत, उत्तेजक पेय, आसुत रस, अर्क तथा इत्र सम्मिलित हैं, जबकि वे सील बंद या प्रवृत्त (कैप्सूल्ड) या कॉर्क लगी हुई बोटलों या बरनियों में बेचे जाएं (इस अनुसूची में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट पेय एवं डिब्बा बंद पेय जल को छोड़कर); 25
3. समस्त प्रकार के दो पहिया, तीन पहिया तथा चार पहिया मोटर यान और चार पहियों से अधिक पहियों वाले मोटरयान जिनमें उनकी चेसिस तथा बॉडिज, उनके पुर्जे तथा उपसाधन, जीप ट्रेलर (इस अनुसूची में अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट को छोड़कर); 15
4. प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर्स), अतिहिमीकरण यंत्र (डीप फ्रीजर्स) वातानुकूलन संयंत्र (एयरकंडीशनिंग प्लांट) जिसमें वातानुकूलन (एयरकंडीशनर्स) यांत्रिक जल शीतक (मेकेनिकल वाटर कूलर्स) वातशीतक (एयर कूलर्स) और उनके संघटक, पुर्जे तथा उपसाधन सम्मिलित हैं; 15
5. टेलीविजन." 15

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2015

क्र.-ए-3-58-2015-1-पांच-(36).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र.-ए-3-58-2015-1-पांच-(36), दिनांक 13 नवम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

### NOTICE

Bhopal, the 13th November 2015

No.-A-3-58-2015-1-V-(36).—The following draft of amendment in the Schedule-II of Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Act, 2002 is hereby, published as required by the proviso to sub-section (1) of Section 70-A of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is, hereby, given that the said draft shall be taken into consideration on expiry of 15 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion with respect to the said draft which may be received by Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Commercial Tax Department, Vallabh Bhawan, Mantralay, Bhopal from any person on or before the time period specified above, shall be considered by the State Government, namely:—

#### DRAFT OF AMENDMENTS

In the said act, in schedule-II,

- (i) In Part-II, serial no. 22 B and entries related thereto shall be omitted;
- (ii) in part-III A, against serial no. 8, in column (3), for the figure "14", the figure "20" shall be substituted;
- (iii) in part-IV, after serial no. 1, the following serial numbers and entries related thereto shall be added, namely:—
  - "2. All kinds of non-alcoholic drinks and beverages including syrups, cordials, distilled juices, 25  
ark and essences when sold in sealed or capsule or cork bottles or jar (excluding those  
drinks mentioned elsewhere in the schedule and packed drinking water);
  3. \*All type of two wheeler, three wheeler and four wheeler motor vehicle and motor vehicle 15  
with more than four wheelers including their chassis and bodies, parts and accessories  
thereof, jeep trailers but excluding tractor and tractor trailers (excluding those mentioned  
elsewhere in the schedule);
  4. Refrigerators, deep freezers, air conditioning plants, including air conditioners, mechanical water 15  
coolers, air coolers and components, parts and accessories thereof;
  5. Television." 15

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.